संख्या-103/2018/1347/41-2018-102 (बजट)/2017

प्रेषक,

ए0पी0 सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 09 अप्रैल, 2018**

विषय-जनपद बलिया में ग्राम पंचायत बिसौली में प्राचीन मठ के सौन्दर्यीकरण का कार्य कराये जाने हेतु प्रशासकीय/ वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में शुद्धि पत्र।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-8475/6-1-1(917)/2018, दिनांक 31 मार्च, 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें यह उक्त विषयक निर्गत शासनादेश सं0-99/2018/1237/41-2018-102 (बजट)/2017 दिनांक 31 मार्च, 2018 में त्रुटिवश नामित कार्यदायी संस्था का नाम उ0प्र0 राजकीय निर्माण सहकारी संघ (यूपीआरएनएसएस) के स्थान पर यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रा क्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0(यूपीसिडको) अंकित हो जाने के दृष्टिगत शुद्धि पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बलिया में ग्राम पंचायत बिसौली में प्राचीन मठ के सौन्दर्यीकरण का कार्य कराये जाने हेतु निर्गत शासनादेश सं0-99/2018/1237/41-2018-102 (बजट)/2017 दिनांक 31 मार्च, 2018 के प्रस्तर-2 को इस सीमा तक संशोधित किया जाता है कि अंकित कार्यदायी संस्था यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रा क्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0(यूपीसिडको) के स्थान पर उ0प्र0 राजकीय निर्माण सहकारी संघ (यूपीआरएनएसएस) पढ़ा जाय। अर्थात उक्त कार्य कराये जाने हेतु उ0प्र0 राजकीय निर्माण सहकारी संघ (यूपीआरएनएसएस) नामित कार्यदायी संस्था होगी।

उक्त संशोधन के अतिरिक्त शासनादेश दिनांक 31 मार्च, 2018 की शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

भवदीय

(ए0पी0 सिंह)
उप सचिव ।

संख्या-103/2018/1347(1)/41-2018-102 (बजट)/2017 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- मण्डलायुक्त आज़मगढ/जिलाधिकारी, बलिया।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रा क्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0 (यूपीसिडको) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि उ0प्र0 राजकीय निर्माण सहकारी संघ (यूपीआरएनएसएस) को नियमानुसार हस्तान्तरित करना सुनिश्चित करें।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण सहकारी संघ (यूपीआरएनएसएस)
7. परियोजना अभियंता, यूपीआरएनएसएस, निर्माण खण्ड, बलिया।
8- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
9- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7।
10- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, गोरखपुर।
11- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
12- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(ए0पी0 सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।